

## श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर

(निर्मल बाबा भवन, मीनादातान रोड, शंकरनगर)



रायपुर, दिनांक 12/03/2010

### संशोधित आदेश

क्रमांक/82/2010। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 32/2010, दिनांक 06.2.2010 द्वारा बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत आबंटन में से जिला कबीरधाम (कवर्धा) के 33 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रुपये 10,000/- के मान से (राज्यांश) राशि रुपये 3.30 लाख आबंटन प्रदान किया गया था। उक्त आदेश को संशोधन करते हुये अब 33 बंधक श्रमिकों के स्थान पर 07 बंधक श्रमिकों के लिए रुपये 70.00 हजार (रुपये सत्तर हजार मात्र) का आबंटन प्रदाय किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या-18, शीर्ष -2230-श्रम और रोजगार, (01)-श्रम112 बंधक मजदूरों का पुर्नवास, 0701 - केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अन्तर्गत विकलीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 16/29015/बी-1/4/2010, दिनांक 2.2.2010 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।  
(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

सहायक श्रमायुक्त (बंधक श्रम)  
श्रमायुक्त कार्यालय छ0ग0 रायपुर

पू0क्रमांक/01/ब.श्र./ब.अ./2002/1911-1919  
प्रतिलिपि,

रायपुर, दिनांक: 12/3/2010

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनाथ।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ
4. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर जिला कबीरधाम (कवर्धा) की ओर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 881-989, दिनांक 8.2.2010 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कोषालय अधिकारी जिला कबीरधाम (कवर्धा) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रम पदाधिकारी कार्यालय जिला राजनागांव की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. लेखा शाखा बजट की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रकरण पत्रिका।

सहायक श्रमायुक्त (बंधक श्रम)  
श्रमायुक्त कार्यालय छ0ग0 रायपुर